भारत में सामुदायिक रेडियो**:** मीडिया परिदृश्य को फिर से परिभाषित करना
Community Radio in India: Redefining the Media Landscape

विनोद पावराला
Vinod Pavarala
August 15, 2011

22 वर्षीया मंजुला पिछले वर्ष एक दिन अगस्त माह में रेडियो स्टेशन जा पहुँची और सुबह 5.00 बजे त्सुनामी के लिए सावधान रहने की घोषणा प्रसारित करने लगी. सबेरे तड़के रेडियो के श्रोता सकते में आ गये, क्योंकि वे इतने सबेरे तो आठ बजे से पहले शुरू होने वाले *कलंजियम वानोली* सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रसारण सुनने के ही आदी थे. सुबह-सुबह ही तमिलनाडु और उसके आस-पास के इलाके नागपत्तिनम में ज़िला-प्रशासन ने सब कुछ ठीक-ठाक है अर्थात् ऑल क्लियर की सूचना प्रसारित की थी, लेकिन उस दिन मंजुला ने अपना काम असरदार ढंग से और बखूबी तौर पर कर दिया था. धन प्रतिष्ठान के सहयोग से यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन सन् 2009 में नागपत्तिनम ज़िले के कीलैयूर ब्लॉक के एक छोटे- से गाँव विलुंतमवड़ी में शुरू किया गया था.यह गाँव उस स्थान से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ सन् 2004 में त्सुनामी ने जबर्दस्त तबाही मचायी थी.

मध्य प्रदेश के ओरछा कस्बे से हज़ारों किलोमीटर दूर अनुजा शुक्ला और उसके सहयोगी *रेडियो बुंदेलखंड* चलाते हैं. यह रेडियो सन् 2008 से स्थानीय संदर्भों के अनुरूप सूचना और मनोरंजन का जबर्दस्त मिला-जुला कार्यक्रम बुंदेली भाषा में प्रसारित कर रहा है. विकास एल्टरनेटिव्स द्वारा समर्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन बीस किलो मीटर के अर्धव्यास के दायरे में श्रोताओं तक पहुँचता है और इस प्रसारण में महिलाओं, युवाओं और सीमांत वर्ग के लोगों को विशेष रूप से संबोधित किया जाता है. एक नवोन्मेषकारी अभियान के दौरान इस स्टेशन ने बुंदेली में स्थानीय शौकिया कलाकारों की मदद से *स्थानीय आइडल* नाम के एक शो के माध्यम से हज़ार से अधिक गीत रिकॉर्ड किये थे. यह शो अमेरिकन / इंडियन आइडल शो नाम के लोकप्रिय रियेलिटी टी.वी. शो का बुंदेली संस्करण था.

ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन और आंध्र प्रदेश के मेदक ज़िले में डक्कन विकास संघ द्वारा शुरू किये गये संघम रेडियो जैसे भारत के पहले ग्रामीण समुदाय के रेडियो स्टेशन जैसी बहु-चर्चित अन्य पहलें बुनियादी तौर पर भारत के मीडिया परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही हैं. भारत में हवाई तरंगों की यह आँधी सन् 2005 में एक सशक्त स्वर के रूप में उस समय उभरकर सामने आयी,जब एफ़एम रेडियो की यह क्रांति महानगरों से आगे बढ़कर अनवरत बजने वाले फ़िल्मी गीतों और अक्सर होने वाली बकवास और गप-शप के साथ लोगों की मीडिया उपभोग की आदतों पर दस्तक देने लगी. हालाँकि इस स्थिति के कारण ''मल्टिपल आउटपुट'' और ''उपभोक्ता की पसंद'' के उदारवादी-पूँजीवादी-शब्दाडंबर के साथ अनायास ही कुछ प्रेक्षक उभर आए हैं,जिनके कारण बीस के दशक का बेर्टोल्ट ब्रेख्त का विलाप फिर से दोहराया जाने लगा है कि रेडियो ''एकाउस्टिकल डिपार्टमेंटल स्टोर'' के रूप में केवल वितरण प्रणाली बनकर रह गया है. उन्होंने रेडियो को दुतरफ़ा संवाद का माध्यम बनाने के लिए ''सचमुच कुछ लोकतांत्रिक'' बनाने की वकालत की, ताकि इससे सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके. भारत में सामुदायिक रेडियो के लिए संघर्ष का इतिहास इसी ब्रेख्तियन सिद्धांत को मूर्त रूप देने का एक प्रयास है, जिसकी परिणति नवंबर,

2006 में भारत सरकार की इस नई नीति में हुई कि देश में सुदृढ़ नागरिक समाज के निर्माण के साधन के रूप में सामुदायिक रेडियो का उपयोग किया जा सकता है.

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में मीडिया उद्योगों के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने विषयवस्तु के समांगीकरण, सत्ता और नियंत्रण के केंद्रीकरण और गरीबों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को हाशिये पर लाने के प्रयासों को बढ़ाने और मुख्य धारा के मीडिया को डिसफ्रैंचाइज़ करने से संबंधित सरोकारों को बढ़ा दिया है. रेडियो के स्पैक्ट्रम को मुक्त करने की लड़ाई प्रमुख मीडिया के लिए विकल्प प्रदान करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक,आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सत्ता से च्युत सामाजिक कारकों के व्यापक स्पैक्ट्रम को अभिव्यक्ति के साधनों के रूप में विकसित करने के लिए रही है. अन्य लोकतांत्रिक देशों के अनुभवों और नीतिगत उदाहरणों को देखते हुए सामुदायिक रेडियो के कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि भारत में प्रसारण सार्वभौमिक पहुँच, विविधता,संसाधनों के समान वितरण, संचार के लोकतंत्रीकरण और समाज के ऐतिहासिक दृष्टि से नुक्सान में रहे वर्गों के सशक्तीकरण के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए.

फ़रवरी, 1995 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह व्यवस्था दी थी कि ''हवाई लहरें सार्वजनिक संपत्ति हैं और इनका उपयोग आम लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए.'' इस निर्णय में यह भी कहा गया था कि प्रसारण मीडिया को समग्र रूप में अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना चाहिए. इसलिए आवश्यक है कि प्रसारण मीडिया को सरकारी एकाधिकार से मुक्त होना चाहिए और इसके विषय का नियंत्रण सार्वजनिक निकाय के विनियमों के अधीन होना चाहिए. इस निर्णय के बाद ही भारतीय सामुदायिक रेडियो के प्रचारकों ने स्थानीय लोगों द्वारा खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में स्वाधिकृत और चलाये जाने वाले अलाभकारी रेडियो स्टेशनों के नये रूप के निर्माण के लिए लगभग एक दशक तक संघर्ष किया ताकि हाशिये पर आए समुदायों के सामाजिक परिवर्तन,सामंजस्य और समावेश के लिए तथा रचनात्मक व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए अवसर जुटाये जा सकें. सामाजिक क्षेत्र में सामुदायिक रेडियो के प्रसारण के लिए इस तरह की वकालत के सघन प्रयासों और गर्मागर्म बहस की परिणति सन् 2006 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा समावेशी सामुदायिक रेडियो नीति के अनुमोदन के रूप में हुई.

जब सन् 1999 में एफ़एम रेडियो की फ्रीक्वेन्सियों को सबसे ऊँची बोली बोलने वालों को नीलाम करने से संबंधित हवाई तरंगों का एकाधिकार समाप्त करने की नीति कार्यान्वित की गयी तो इस अभियान के प्रचारकों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय (''पब्लिक'' का अर्थ ''प्राइवेट'' के रूप में ही पढ़ा जाए) की भारत सरकार की ओरवेलियन व्याख्या पर ही संतोष करना पड़ा. इस अपरिहार्य प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने हवाई तरंगों को भारत के शहरी परिदृश्य में व्यावसायिक खिलाड़ियों के लिए बेहद सरल और संभव बना दिया. जैसे ही हवाई तरंगें सरकारी नियंत्रण से मुक्त हुईं , वैसे ही भारत के मनोरंजन रेडियो में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने लगे. परंतु सामाजिक क्षेत्र सूना ही रह गया और ''अपने रेडियो का सपना'' देखने वाले ग्रामीण क्षेत्र की आवाज़ को सुनने में किसी को दिलचस्पी न रही. देश में तीन-स्तरीय स्वतंत्र और अलाभकारी प्रसारण की एक अरसे से चली रही माँगों के फलस्वरूप आरंभ में 2003 की पहली तिमाही में सामुदायिक रेडियो का सीमित कैम्पस ''अवतार'' सामने आया.

इसके कारण ''प्रतिष्ठित'' शैक्षणिक संस्थाओं ने एफ़एम ट्रांसमीटर लगाना और रेडियो स्टेशन चलाना शुरू कर दिया. इस निर्णय के कारण राज्य की चौधराहट कुछ हद तक कम हुई और रेडियो पर मार्केटिंग शुरू हुई. लेकिन शहरी और शिक्षित भद्रलोक के लिए ऐसे इलाके में जहाँ मीडिया पहले से ही जमा हुआ हो प्रसारण क्षेत्र के खुलने से सामुदायिक रेडियो अभियान की मूल भावना को ही क्षति पहुँची. सरकार बहुत समय तक इस अनावश्यक आशंका के कारण कि अलगाववादी, आतंकवादी और विनाशक तत्व इस माध्यम का दुरूपयोग कर सकते हैं, इस क्षेत्र में प्रसारण क्षेत्र खोलने के प्रस्ताव को टालती रही. कांग्रेस-नीत यूपीए की केंद्र सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी (नरेगा) अधिनियम जैसी गरीब-समर्थक नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए सामुदायिक रेडियो की वास्तविक माँग को अंततः मान लिया.

सन् 2006 से नई विस्तारित नीति के कारण पहले से भली-भाँति सामुदायिक विकास कार्यों में संलग्न गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दे दी गई. इस समुदाय को स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार देने के साथ-साथ नीति में यह व्यवस्था भी की गई कि कम से कम 50 प्रतिशत विषयवस्तु स्थानीय भाषा में उनके समुदाय की सहभागिता के साथ होनी चाहिए. नई नीति के मौजूदा ढाँचे में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को समाचार और सामयिक विषयों को प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी गई.

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं से इतर संगठनों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत जटिल है और उनके लिए आवश्यक है कि वे सामुदायिक रेडियो स्टेशन को ऑपरेशनल बनाने से पहले कई मंत्रालयों की स्वीकृति प्राप्त करें. कुछ हद तक यह भी एक कारण है कि नीति की घोषणा के चार वर्षों के बाद भी सौ में से एक तिहाई रेडियो स्टेशन ही भारत में ज़मीन से जुड़े संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं और शेष कैम्पस रेडियो हैं. इस उदीयमान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सामुदायिक रेडियो मंच जैसे समूह अधिक उदार लाइसेंसिंग कार्यविधि के लिए और समाचार तथा राजनीति जैसे विषयों पर रोक हटाने की लगातार माँग करते रहे हैं. हाल ही में यह समूह प्रसारण के इस जीवंत क्षेत्र के विकास को रोकने वाले कारक तत्वों में से एक प्रमुख तत्व के समाधान के लिए सामुदायिक रेडियो सहायता निधि के द्वारा सार्वजनिक वित्त के सृजन की प्रक्रिया चलाने के लिए सूचना व प्रसारण मंत्रालय के साथ काम कर रहा है.

इस बीच ''जनरल'' नरसम्मा और उनकी सहयोगी एल्गोल नरसम्मा नाम की दो दलित महिलाएँ , जो *संघम रेडियो* चलाती हैं, अपने *यरंदला मुचातलु* नाम के *तेलुगु* शो से दर्शकों का मनोरंजन करती हैं. इस शो में दो ननदों के गपशप भरे संवादों की मिमिक्री के माध्यम से वे अपने समुदाय में सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती हैं.

विनोद परवाला सरोजिनी नायडू स्कूल ऑफ़ आर्ट्स ऐंड कम्युनिकेशन्स के डीन हैं. वह कंचन के. मलिक के साथ ऑफ़ अदर वॉइसेज़ः द स्ट्रगल फ़ॉर कम्युनिटी रेडियो इन इंडिया, सेज, 2007 के लेखक हैं.वह इस समय भारतीय सामुदायिक रेडियो मंच के अध्यक्ष हैं.

हिंदी अनुवादः विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय, भारत सरकार
<malhotravk@hotmail.com>